<u>न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा,</u> व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

<u>व्य.वाद क.05ए / 2015</u> संस्थित दिनांक 04.02.2015 फा.नंबर—1702015

1.बुधारी पिता सहबू उम्र-60 वर्ष, जाति गोंड,

2.बुधराम पिता सहबू उम्र-58 वर्ष, जाति गोंड,

3. सुकलू पिता सहबू उम्र—62 वर्ष, जाति गोंड, तीनों निवासी ग्राम सेरपार तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

....वादीगण

<mark>िविरुद्ध</mark>ः

- 1.सजनबाई जौजे फगनू उम्र-60 वर्ष जाति गोंड,
- 2.अगन् पिता पंचम उम्र-70 वर्ष, जाति गोंड,
- 3.सुन्हेरसिंह पिता भगेल उम्र-60 वर्ष जाति गोंड,
- 4.कचरू पिता सुमरित उम्र-35 वर्ष, जाति गोंड,
- 5. छतरसिंह पिता सुमरित उम्र-33 वर्ष, जाति गोंड,
- 6. गनेशिया जौजे सुमरितसिंह उम्र-58 वर्ष, जाति गोंड,
- 7. मेहतरिनबाई जौजें मल्लू उम्र-70 वर्ष, जाति गोंड,
- 8.गजरी पिता मल्लू उम्र-48 वर्ष, जाति गोंड,
- 9.लढ़ पिता मल्लू उम्र-50 वर्ष, जाति गोंड,
- 10.ईश्वर पिता मल्लू उम्र-46 वर्ष, जाति गोंड,
- 11.धनेश पिता मल्लू उम्र-44 वर्ष, जाति गोंड,
- 12. सूरज पिता मल्लू उम्र-42 वर्ष, जाति गोंड,
- 13. स्रेरजबाई पिता मल्लू उम्र-40 वर्ष, जाति गोंड (फौत)
- 13(1).वासन उयके उम्र-27 वर्ष पिता श्री पृष्पराज उयके
- 13(2).सुषमा उयके उम्र–25 वर्ष पिता श्री पुष्पराज उयके
- 13(3). नीलू उयके उम्र-22 वर्ष पिता श्री पृष्पराज उयके
- 13(4). नरेश उयके उम्र—20 वर्ष पिता श्री पुष्पराज उयके सभी माता सुरजबाई जाति गोंड निवासी ग्राम भटलई,
- तहसील बिरसा जिला बालाघाट।
- 14. गुहदरसिंह पिता मूलाम उम्र-56 साल, जाति गोंड
- 15.सुखराम पिता सहबू उम्र—56 साल, जाति गोंड,(फौत)
- 15(1)शातिबाई उम्र-50 साल पति स्व0 सुखराम,
- 15(2)धीरज उम्र–28 साल, पिता स्व0 सुखराम,
- 15(3)त्लसीराम उम्र—26 साल, पिता स्व0 सुखराम,
- 15(4) गजराज उम्र–23 साल, पिता स्व0 सुखराम,
- 15(5) ब्रजकुंवर उम्र—21 साल, पिता स्व0 सुखराम,

सभी जाति गोंड निवासी ग्राम घुम्मुर तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

- 16.कृष्णा पिता सहबू उम्र-50 साल, जाति गोंड,
- 17. सुकली जोजे भगाली, उम्र-58 साल, जाति गोंड
- 18.सुकवारो जौजे फगनू उम्र-56 साल जाति गोंड
- 19.म0प्र0 शासन तर्फे श्रीमान कलेक्टर महोदय बालाघाट प्रतिवादी क्रमांक 01 से 18 तक निवासी सेरपार, तहसील बिरसा जिला बालाघाट।

ः <u>निर्णय</u>ः (<u>दिनांक 20.11.2017 को घोषित</u>)

- 01— यह वादग्रस्त संपति मौजा सेरपार प.इ.नं.38 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर 108/3 रकबा 7.88 एकड़, खसरा नंबर 111/1 रकबा 5.60 एकड़, खसरा नंबर 116 रकबा 3. 25 एकड़, खसरा नंबर 118/1 रकबा 2.60 एकड़, खसरा नंबर 118/2 रकबा 1.58 एकड़, खसरा नंबर 120 रकबा 0.15 एकड़, खसरा नंबर 121 रकबा 0.84 एकड़, खसरा नंबर 122 रकबा 0.27 एकड़, खसरा नंबर 123 रकबा 0.86 एकड़, खसरा नंबर 131/2 रकबा 0.22 एकड़, खसरा नंबर 133 रकबा 0. 15 एकड़, खसरा नंबर 135 रकबा 0.88 एकड़, खसरा नंबर 136 रकबा 0. 15 एकड़, खसरा नंबर 137/2 रकबा 0.61 एकड़ जुमला रकबा 28.38 एकड़ के अंश निर्धारण के आधार पर हक घोषणार्थ एवं राजस्व प्रकरण कमांक 353—63/2011—12 में तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09. 2012 तथा राजस्व प्रकरण कमांक 783—27/2012—13 में तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2013 को शून्य घोषित किये जाने तथा कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 02— प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का विवरण स्वीकार किया गया है।
- 03— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त पते के निवासी होकर कास्तकारी करते है। विवादित भूमि कृषि भूमि है। वादीगण के पास विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि खसरा नंबर 108/3, 111/1, 116, 118/1, 118/2, 120, 121, 122, 123, 131/2, 133, 135, 113, 114/3, 119/2 रकबा कमशः 7.68 ए, 5.60, 3.26, 2.60, 1.58, 0.15, 0.84, 0.27, 0.46, 0.22, 0.15, 0.88, 3.52, 0.52, 0.61 कुल 28.38 एकड़ भूमिस्वामी हक की मौजा सेरपार, प.ह.नं.38, रा.नि.ंमं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मूल पुरूष श्यामसिंह थे। श्यामसिंह के तीन पुत्र बहादूर, पंचम एवं कन्हई थे। बहादूर से मुलाम एवं मल्लू, पंचम से भगेल, अगनू और फगनू, तथा कन्हई से पुत्री बलस्या है, मुलाम से रामकुंवर व रामकुंवर से गुहदर है, मल्लू से मेहतरिनबाई व मेहतरिनबाई से

गजरी, लढ़, ईश्वर, धनेश, सूरज, सूरजबाई, भगेल से सन्हेर, सुमरित व सुमरित से गनेशिया व गनेशिया से कचरू, छतरू, कचरोबाई है तथा कन्हई से बलस्या व बलस्या से सुखराम, कृष्णाबाई, सुकलीबाई, सुकवारो, बुधारी, बुधराम व सुकलू है।

वादग्रस्त भूमि खानदानी भूमि होने से वादीगण का प्रतिवादी क.15 से 18 के साथ 1/3 का अंश है, जिसमें अंश निर्धारण के आधार पर 1/7, 1/7 अंश के आधार पर वादीगण का वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 28.38 एकड़ भूमि में से 4.06 एकड़ भूमि पर हक व अंश है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण क.15 से 18 तक का खानदानी सहखातेदार के रूप में 1/3 अंश के आधार 9.46 एकड़ पर हक था। वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 28.38 एकड़ भूमि वादीगण के पूर्वज कन्हई एवं प्रतिवादी के.01 से 14 तक के पूर्वज बंघेलसिंह, अगनूसिंह, फगनूसिंह, मुलाम तथा मल्लू की स्व–अर्जित भूमि थी। वादीगण अपने अंश के आधार पर शामिल-शरीक रूप से अपने समाहक अंश में लगभग 4.06 एकड़ भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे थे, तभी प्रतिवादी क.01 से 15 द्वारा वादीगण के विरूद्ध राजस्व अभिलेख दुरूस्ती हेतु धारा–115, 116 के तहत म.प्र. भू राजस्व संहिता के तहत आवेदन पत्र तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसका राजस्व प्रकरण क.35अ–6अ / 2011–12 था, जिसमें तहसीलदार बिरसा द्वारा दिनांक 13/09/2012 को वादीगण की आपत्ति के बावजूद भी व्यवहार वाद क. 40अ / 1995 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर द्वारा दिनांक 10.08.1996 को पारित निर्णय एवं डिकी जो कि विधि विरूद्ध एवं क्षेत्राधिकार विहीन डिकी थी, जो कि अपने आप में शन्य थी और वादीगण पर बंधनकारी नहीं थी।

05— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर के द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 10.08.1996 की शून्य डिकी को आधार मानकर अवैध रूप से वादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों से राजस्व प्रकरण क.353—6 वर्ष 2011—12 में दिनांक 13.09.2012 को वादीगण का नाम निरस्त करने हेतु अवैध आदेश पारित कर दिया गया तथा अवैध आदेश पारित करने के बाद प्रतिवादी क.1 से 14 द्वारा तहसीलदार बिरसा के यहां दिये गये बंटवारा आवेदन पत्र के तहत राजस्व प्रकरण क.783—27 वर्ष 2012—13 में दिनांक 06.05.2013 को विवादित भूमि का बंटवारा आदेश अवैध रूप से पारित कर दिया गया, जो कि वादीगण पर बंधनकारी नहीं है, क्योंकि वादीगण व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर द्वारा व्यवहार वाद क. 403—95 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर द्वारा प्रवित्त निर्णय एवं डिकी दिनांक 10.08.1996 के प्रकरण में वादीगण, एवं प्रतिवादीगण को नहीं थी। व्यवहार वाद के निर्णय एवं डिकी जानकारी वादीगण को नहीं थी। व्यवहार वाद के निर्णय एवं डिकी की जानकारी तहसीलदार बिरसा द्वारा राजस्व प्रकरण क.353—63 वर्ष 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2012 को हुई और प्रतिवादी क.1 से 14 तक द्वारा वादीगणण के

हक मालिकी को चुनौती दी गयी तथा वादीगण को उनके कब्जे की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया गया।

- वाद कारण दिनांक 13.09.2012 को तब उत्पन्न हुआ, जब व्यवहार वाद क.403—95 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर द्वारा क्षेत्राधिकार विहीन एवं शून्य डिकी का आधार मानकर राजस्व प्रकरण क.353—6अ वर्ष 2011—12 में तहसीलदार बिरसा द्वारा वादीगण का नाम विलोपित करने का राजस्व अभिलेखों से आदेश पारित कर दिया गया और प्रतिवादी क.01 से 14 द्वारा वादीगण के कब्जे में दखल देने का प्रयास किया गया। वादीगण विवादित भूमि पर हक घोषणार्थ तथा राजस्व प्रकरण क.353—6अ वर्ष 2011—12 में तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2012 को शून्य घोषणार्थ एवं राजस्व प्रकरण क. 783—27 वर्ष 2012—13 में तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.13 को पाने शून्य घोषणार्थ एवं कब्जा बाबद लगान का 20 गुना 500/— रूपये जुमला दवा कीमती 1,000/—, 1000/—, 1,000/— रूपये कुल जुमला 3,500/— रूपये पर न्यायालय की ओर से चस्पा किया जा रहा है। वादीगण का दावा म्याद अवधि के अन्दर है। वादीगण का दावा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न होकर माननीय न्यायालय के श्रवण अधिकार के अंतर्गत है।
- 07— वादग्रस्त भूमि कुल रकबा 28.38 एकड़ में से 1/3 खानदानी हक 9.48 एकड़ में से 1/7, 1/7, 1/7 अंश के आधार पर रकबा 4.06 एकड़ भूमि पर एक मात्र वादीगण का हक होने से उक्त कब्जा प्रतिवादीगण से वादीगण को दिलाया जावे तथा वादीगण के हक में घोषित रकबा 8.06 एकड़ भूमि पर प्रतिवादीगण एवं उनके प्रतिनिधि को दखल देने से स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा निषेधित किया जावे तथा राजस्व प्रकरण क.353—637 वर्ष 2011—12 में तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.09.2012 एवं राजस्व प्रकरण क.783—27 वर्ष 2012—13 में तहसीलदार बिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2013 को प्रभाव शून्य घोषित किया जावे।
- 08— स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त, वादीगण के अभिवचनों का प्रत्याख्यान कर अपने जवाब में प्रतिवादी क.01 से 06 व 10 ने यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण ग्राम सेरपार तहसील बिरसा जिला बालाघाट के निवासी है, जिनके मूल पुरूष श्यामसिंह थे। श्यामसिंह से बहादूर एवं पंचम है। बहादुर से मुलाम एवं मल्लू है तथा पंचम से भगेल, अगनू और फगनू है। मुलाम से रामकुंवर व रामकुंवर से गुहदर है। मल्लू से मेहतरिनबाई व मेहतरिनबाई से गुजरी, लटू, ईश्वर, धनेश, सूरज, सूरजबाई है। भगेल से सुन्हेर, सुमरित व सुमरित से गनेशिया व गनेशिया से कचरू, छतरू, कचरोबाई है। फगनू से सजनबाई है। प्रतिवादी कमांक 01 से 14 मूल पुरूष श्यामसिंह के उत्तराधिकारी है। वाद पत्र कंडिका 03 में दर्शित भूमि 28.38 एकड़ भूमि

प्रतिवादी क.01 से 14 की खानदानी भूमि है, जिस पर उनका अपने पूर्वजों के समय से शांतिपूर्ण कब्जा एवं जोत चला आ रहा है और राजस्व प्रलेखों में भी उक्त भूमि उपरोक्त प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

- मूल पुरूष श्यामसिंह एवं उनके पुत्र बहादुर एवं पंचम की चोरी 09-से वादीगण के पूर्वज कन्हई द्वारा बिना किसी हक अधिकार के राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया गया था, जिसका फायदा उठाते हुए बाद में कन्हई की पुत्री बलस्या द्वारा भी राजस्व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर अपना नाम दर्ज करा लिया गया, जिसकी जानकारी होने पर प्रतिवादीगण द्वारा माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के न्यायालय में व्य.वा.क.40अ / 95 फगनू व अन्य विरूद्ध सुखराम व अन्य पेश किया गया था, जिसमें दिनांक 10.08.96 को निर्णय एवं अज्ञप्ति पारित की गई थी, जिसके आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी के.15 से 18 का नाम राजस्व प्रलेखों से विलोपित कर दिया गया था, उसके पश्चात पुनः वादीगण द्वारा प्रतिवादी क.01 से 14 के हक मालिकी की खानदानी भूमि के राजस्व प्रलेखों में चोरी-छिपे अपना नाम दर्ज करा लिया गया, जिस कारण प्रतिवादी क्रमांक 01 से 14 द्वारा तहसीलदार महोदय बिरसा के न्यायालय में रा.प्र.क.35-अ/6 वर्ष 2011-12 सुन्हेरसिंह व अन्य विरूद्ध बुधारी व अन्य पेश किया गया था, जिसमें तहसीलदार विरसा द्वारा व्य.वा.क.४०अ / ९५ में पारित निर्णय एवं डिकी के आधार पर राजस्व प्रलेखों से वादीगण का नाम विलोपित करने हेतू विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 13.09.2012 को आदेश पारित किया गया था, जिसकी जानकारी पूर्ण रूप से वादीगण को थी और वे तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में उपस्थित भी हुए थे। तहसीलदार बिरसा के द्वारा रा.प्र.क.35अ / 6 वर्ष 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 13.09.12 के आधार पर वादीगण का नाम भी वाद कथित भूमि के राजस्व प्रलेखों से विलोपित किया गया।
- 10— वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 14 की खानदानी भूमि है, उस पर वादीगण या प्रतिवादीगण क्रमांक 15 से 18 का कोई हक या हिस्सा नहीं है और ना ही उनका वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई जोत या कब्जा रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 से 14 वादग्रस्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज मालिक हैं और राजस्व प्रलेखों में भी उक्त भूमि उनके नाम से दर्ज होने के कारण उनके द्वारा तहसीलदार बिरसा के न्यायालय में बंटवारा आवेदन पत्र पेश कर विधिवत बंटवारा करवाया गया है और उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज होकर उनके कब्जे में है।
- 11— वादीगण द्वारा उनके पूर्वजों के द्वारा बिना किसी हक अधिकार के वादग्रस्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में दर्ज करवाये गये नाम को आधार बनाकर यह दावा माननीय न्यायालय में पेश किया गया है, यदि वास्तव में वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 01 से 14 के खानदान से संबंधित हाते या उनका

वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का हक होता तो वह लोग वादग्रस्त भूमि के कब्जे में भी होते और व्य.वा.क.40अ/95 में पारित निर्णय व डिकी या उसके आधार पर राजस्व प्रलेखों से उनका नाम विलोपित किये जाने के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में समयाविध में अपील प्रस्तुत करते। ऐसा ना करते हुए वादीगण द्वारा झूठे तथ्य एवं आधारों पर प्रतिवादी कमांक 01 से 14 की खानदानी भूमि को हड़पने की बद्नियत से यह झूठा दावा पेश किया गया है, जो अविध बाह्य होने से सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। वादीगण द्वारा बिना किसी हक अधिकार के प्रतिवादीगण को परेशान करने की बद्नियत से यह झूठा दावा पेश किया गया है, इसलिये प्रतिवादीगण वादीगण से वाद व्यय एवं बतौर क्षतिपूर्ति पांच—पांच हजार रूपये कम्पनसेंद्री कॉस्ट प्राप्त करने के हकदार है। वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र प्राङ न्याय के सिद्धान्त के आधार पर भी पोषणीय न होने से सव्यय निरस्त किया जावे।

12— 🕢 प्रतिवादी क.15 के वारसान क्रमांक 01 से 05 तथा प्रतिवादी कमांक 16 से 18 द्वारा वादीगण के अभिवचनों को स्वीकार कर यह व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 से 14 द्वारा राजस्व अभिलेख एक मात्र अपने पक्ष में दुरूरती हेतु बिना हक अधिकार के माननीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 बेहर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसका व्यवहार वाद कमांक 40अ / 95 था, जिसमें व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर द्वारा क्षेत्राधिकारविहिन डिकी पारित की गई थी जो कि अपने आप में स्वयं शून्य थी जो कि प्रतिवादीगण क्रमांक 01 से 14 तक कपटपूर्ण डिक्री अपने पक्ष में पारित करवाई गयी थी, जो कि उनपर तथा वादीगण पर भी बंधनकारी नहीं है। उक्त प्रकरण में वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 108/3, 111/1, 116, 118/1, 118 / 2, 120, 121, 122, 123, 131 / 2, 133, 135, 113, 114 / 3, 11 / 2 रकबा ७.68ए., ५.60ए., ३.26ए., २.60ए., १.58ए., ०.15 ए., ०.84ए., ०.27ए., ०.46ए, 0.22ए., 0.15ए., 0.88ए., 3.52ए., 0.52ए., 0.61 ए. जुमला रकबा 28.38ए. मौजा सेरपार प.ह.नं.38 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बलाघाट में स्थित भूमि में से 1/3 खानदानी हक के आधार पर रकबा 9.48 एकड़ का हक हिस्सा है, जिसमेंसे 1/7 अंश के आधार पर रकबा 4.06 एकड़ भूमि पर एक मात्र वादीगण का हक है तथा बचत भूमि 5.34 एकड़ भूमि के हकदार प्रतिवादीगण है, प्रतिवादी क्रमांक 15 के वारसान प्रतिवादी क्रमांक 01 से 05 एवं प्रतिवादी कमांक 16 से 18 है। प्रतिवादीगण उक्त विवादित भूमि पर शामिल-शरीक काश्त कब्जे में अपने हक के मान से चले आ रहे है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में डिकी पारित की जावे। 🕔



13— न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

		7.83
क्रमांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादग्रस्त संपति खसरा नंबर 108/3 रकबा 7.88 एकड़, खसरा नंबर 111/1 रकबा 5.60 एकड़, खसरा नंबर 116 रकबा 3.25 एकड़, खसरा नंबर 118/1 रकबा 2.60 एकड़, खसरा नंबर 118/2 रकबा 1.58 एकड़, खसरा नंबर 120 रकबा 0.15 एकड़, खसरा नंबर 121 रकबा 0.84 एकड़, खसरा नंबर 122 रकबा 0.27 एकड़, खसरा नंबर 123 रकबा 0.86 एकड़, खसरा नंबर 131/2 रकबा 0.22 एकड़, खसरा नंबर 133 रकबा 0.15 एकड़, खसरा नंबर 135 रकबा 0.88एकड़, खसरा नंबर 114/3 रकबा 0.52 एकड़, खसरा नंबर 114/3 रकबा 0.52 एकड़, खसरा नंबर 119/2 रकबा 0.61 एकड़ जुमला रकबा 28.38 एकड़ मौजा सेरपार प.इ.नं. 38 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट वादीगण के स्वामित्व की है?	अप्रमाणित
2.	क्या वादीगण वादग्रस्त संपत्ति के 1/3 अंश के अधिकारी हैं ?	अप्रमाणित
3.	क्या वाद वाद अवधि बाध्य है ?	अप्रमाणित
4.	क्या वाद प्राण न्याय से बाधित है ?	अप्रमाणित
5.	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की कंडिका क्रमांक 23 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 03:-

14— वादीगण के अनुसार वाद कारण दिनांक 13.09.2012 को तब उत्पन्न हुआ, जब व्यवहार वाद क्र.40अ / 95 में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 बैहर द्वारा क्षेत्राधिकार विहीन एवं शून्य डिकी का आधार मानकर राजस्व प्रकरण क्र. 353—6अ वर्ष 2011—12 में तहसीलदार बिरसा द्वारा वादीगण का नाम विलोपित करने का राजस्व अभिलेखों से आदेश पारित कर दिया गया और प्रतिवादी क्र.1 से 14 द्वारा वादीगण के कब्जे में दखल देने का प्रयास किया गया। जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार वाद अवधि बाह्य है।

उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, परंत् उनके द्वारा तत्संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तृत नहीं की गई है। मात्र मौखिक औपचारिक कथन कर देने से तत्संबंध में कोई उपधारणा नहीं की जा सकती। इसके विपरीत वादीगण द्वारा प्रस्तुत पांचसाला खसरा प्र.पी.02 तथा संशोधन पंजी प्र.पी.03 से दर्शित है कि निर्णय दिनांक 10.08.96 के पश्चात भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का नाम दर्ज था, जो कि राजस्व प्रकरण क्रमांक 35/अ6—अ/11—12 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2012 के पश्चात विलोपित किया गया और तत्पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा आदेश दिनांक 06.05.2013 के माध्यम से वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करा लिया गया। वादीगण द्वारा उक्त आदेश दिनांक 13.09.2012 तथा दिनांक 06.05.2013 को शुन्य घोषित किये जाने हेतु ही वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रतिवादी सुन्हेरसिंह प्र.सा.०१ ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकृत किया है कि वर्ष 2012 के राजस्व प्रलेखों में वादीगण का नाम दर्ज था। ऐसी स्थिति में वादीगण के अभिवचन विश्वसनीय प्रतीत होते हैं कि वाद कारण दिनांक 13.09.2012 को उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात दिनांक 04.02.2015 को वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा वादग्रस्त संपत्ति में स्वत्व घोषणा का अनुतोष भी चाहा गया है, जिससे यह दर्शित है कि वर्तमान वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित अवधि में प्रस्तृत किया गया है। फलतः विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष अप्रमाणित के रूप में दिया

विवाद्यक प्रश्न कमांक 04:-

यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्राङ न्याय तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है, जिसके लिए विशिष्ट अभिवचन होना चाहिए और पक्षकार को साबित करने के लिए सभी आवश्यक तथ्य तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिए—न्यायदृष्टांत मधुकर डी शेन्डे वि० तराबी आबा शेड्गे <u>ए.आई.आर.2002 एस.सी.637</u> | उक्त तथ्य को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है और उनके द्वारा तत्संबंध में निर्णय दिनांक 10.08.96 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.05 प्रस्तुत की गई है, जबकि वादीगण के अनुसार उक्त प्रकरण में उभयपक्ष पक्षकार नहीं थे तथा उन्हें जानकारी नहीं थी, जिस कारण उक्त डिकी से वह बाध्य नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादी सुन्हेरसिंह प्र.सा.01 द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृत किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व प्रकरण में बुधराम, बुधारी और सुकलुं को पक्षकार नहीं बनाया गया था। धारा–11 सि.प्र. सं. के प्रावधान से सपष्ट है कि प्राङ न्याय हेतु पक्षकारों को समान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूर्व के पक्षकारों से अपना हित प्राप्त करने वाले पक्षकार पर भी उक्त प्रावधान लागू होता है, तथापि प्रतिवादीगण द्वारा प्राङ न्याय हेतु आवश्यक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, क्योंकि मात्र निर्णय के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि दोनों वाद में विवाद्यक सारतः समान थे। वादपत्र तथा जवाबदावा के आधार पर ही उभयपक्ष की

स्थिति स्पष्ट होती है कि उनके द्वारा क्या अभिवचन लिये गये थे तथा न्यायालय द्वारा उक्त आधार पर समस्त विवाद्यकों का निपटारा किया गया था। यद्यपि निर्णय दिनांक 10.08.96 के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण के प्रतिवादीगण आरंभ से एकपक्षीय रहे हैं। प्रकरण में स्वयं प्रतिवादी द्वारा स्वीकृत किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व प्रकरण में वर्तमान वादीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। चूँकि पक्षकारों का समान होना प्राङ न्याय हेतु आवश्यक शर्त है। फलतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान वाद प्राङ न्याय से बाधित नहीं है तथा उक्त हेतु विवाद्यक प्रश्न कमांक 04 का निष्कर्ष अप्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न कमांक 01 एवं 02:-

वादी बुधराम वा.सा.०१ ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा सेरपार प.ह.नं.38 रा.नि.मं. बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट में स्थित खसरा नंबर 108/3 रकबा 7.88 एकड़, खसरा नंबर 111/1 रकबा 5.60 एकड़, खसरा नंबर 116 रकबा 3.25 एकड़, खसरा नंबर 118/1 रकबा 2.60 एकड़, खसरा नंबर 118/2 रकबा 1.58 एकड, खसरा नंबर 120 रकबा 0.15 एकड़, खसरा नंबर 121 रकबा 0.84 एकड़, खसरा नंबर 122 रकबा 0.27 एकड़, खसरा नंबर 123 रकबा 0.86 एकड़, खसरा नंबर 131/2 रकबा 0.22 एकड़, खसरा नंबर 133 रकबा 0. 15 एकड, खसरा नंबर 135 रकबा 0.88 एकड़, खसरा नंबर 114/3 रकबा 0. 52 एकड, खसरा नंबर 119 / 2 रकबा 0.61 एकड जुमला रकबा 28.38 एकड उनकी खानदानी भूमि है, जिसपर उनका तथा प्रतिवादी क्रमांक 15 से 18 का 1/3 अंश है, जो कि उनके पूर्वज कन्हई तथा प्रतिवादी क्रमांक 01 से 14 के पूर्वज बघेल सिंह, अगनूसिंह, फगनूसिंह, मुलामसिंह तथा मल्लू की स्व-अर्जित भूमि थी। वह अपने अंश के माध्यम से शामिल-शरीक भूमि के 4.06 एकड़ पर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहा था। इसी दरम्यान प्रतिवादी क्रमांक 01 से 15 द्वारा उसके विरूद्ध राजस्व अभिलेख दुरूस्ती हेतु म०प्र० भू–राजस्व संहिता की धारा–115, 116 के अंतर्गत आवेदन पत्र तहसीलदार न्यायालय बिरसा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रकरण क्रमांक 35अ–6अ वर्ष 2011–12 में उसकी आपित्ति के बावजूद दिनांक 13.09.2012 को तहसीलदार बिरसा द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर द्वारा दिनांक 10.08.96 को पारित विधि-विरूद्ध तथा क्षेत्राधिकार विहिन डिकी के आधार पर उनका नाम राजस्व प्रलेखों से निरस्त कर दिया गया, जिस कारण उक्त आदेश भी शून्य है। ततुपश्चात प्रतिवादी कुमांक 01 से 14 द्वारा न्यायालय में बंटवारा आवेदन पत्र पेश किया गया, जिसमें दिनांक 06.05.2013 को अवैध रूप बंटवारा आदेश पारित कर दिया गया, जो उनपर बंधनकारक नहीं है, क्योंकि व्यवहार वाद क्रमांक 40अ / 95 में उभयपक्ष पक्षकार नहीं थे। फलतः वादग्रस्त भूमि पर उनका अंश निर्धारण कर प्रतिवादीगण को वाद्ग्रस्त भूमि पर दखल देने से रोके जाने हेतु उनके द्वारा वर्तमान वाद प्रस्तृत किया गया है।

- 18— वादी बुधराम वा.सा.01 ने अपने वाद के समर्थन में अधिकार अभिलेख वर्ष 1954—55 प्र.पी., वादग्रस्त भूमि का वर्ष 2003 से 2006 तक का पांचसाला खसरा प्र.पी.02, संशोधन पंजी क्रमांक—3 दिनांक 28.12.2007 प्र.पी.03, व्यवहार वाद क्रमांक 46अ/95 की सत्यप्रतिलिपि प्र.पी.04 तथा तहसीलदार न्यायालय बिरसा के राजस्व प्रकरण क्रमांक 353—6 वर्ष 2011—12 में पारित आदेश दिनंक 13.09.2015 एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 783—27/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2013 प्र.पी.05 एवं प्र.पी.06, संशोधन पंजी क्रमांक 18 दिनांक 10.10.70 एवं संशोधन पंजी क्रमांक 01 दिनांक 30.04.58 प्र.पी.07 तथा प्र.पी.08 प्रस्तुत की है। उक्त कथनों का समर्थन धनसिंह नेताम वा.सा.02 तथा बिसाहुसिंह यादव वा.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये हैं।
- वादी के कथनों का खंडन कर प्रतिवादी सुन्हेरसिंह प्र.सा.01 ने 19-अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि उनकी खानदानी भूमि है, जिसके राजस्व प्रलेखों में उनका नाम दर्ज है तथा उस पर पूर्वज के समय से शांतिपूर्ण कब्जा एवं जोत चला आ रहा है। वादीगण के पूर्वज कन्हई द्वारा उनके मूल पुरूष श्यामसिंह तथा पुत्र बहादर एवं पंचम की जानकारी के बिना चोरी से बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि के राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया गया, जिसके पश्चात कन्हैया की पुत्री बलस्या द्वारा भी राजस्व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर अपना नाम दर्ज करा लिया गया। उक्त जानकारी होने पर प्रतिवादीगण द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 40अ / 95 अगनू व अन्य विरूद्ध सुखराम व अन्य पेश किया गया, जिसमें विचारण पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 10.08.96 को निर्णय एवं आज्ञप्ति पारित की गई, जिसके आधार पर वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 15 से 18 तक का नाम राजस्व प्रलेखों से विलोपित कर दिया गया था। तत्पश्चात पुनः वादीगण द्वारा चोरी–छुपे राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया गया, जिस कारण उनके द्वारा तहसीलदार न्यायालय बिरसा में राजस्व प्रकरण क्रमांक 35अ / 6 वर्ष 2011–12 सुन्हेरसिंह व अन्य विरूद्ध बुधारी व अन्य पेश किया गया, जिसमें व्यवहार न्यायालय डिकी के आधार पर तहसीलदार महोदय द्वारा दिनांक 13.09.2012 को आदेश पारित किया गया।
- 20— प्रतिवादी सुन्हेरसिंह प्र.सा.01 के अनुसार वादीगण को उक्त आदेश की पूर्ण रूप से जानकारी थी तथा उनके द्वारा उक्त प्रकरण उपस्थित होकर आपत्ति की गई थी। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण तथा प्रतिवादी क्रमांक 15 से 18 का कोई हक या हिस्सा नहीं है और ना ही उनका भूमि पर कभी जोत या कब्जा रहा है। प्रतिवादीगण भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज मालिक है तथा राजस्व प्रलेखों में अपना नाम दर्ज होने के कारण उनके द्वारा तहसीलदार बिरसा के न्यायालय से विधिवत बंटवारा करवा लिया गया है।

वास्तव में यदि कोई अधिकार होता तो उनके द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 40अ/95 में पारित निर्णय तथा उसके आधार पर राजस्व प्रलेखों से नाम विलोपित किये जाने के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जाती, परंतु ऐसा न करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध बदिनयत से झूठा दावा पेश किया गया है, जो अवधि बाह्य होकर प्राङ न्याय के सिद्धांत के आधार पर पोषणीय नहीं है। उसने जवाबदावा के समर्थन में पांचसाला खसरा प्र.डी.01 तथा प्र.डी.02 एवं प्र.डी.03 तहसीलदार बिरसा के आदेश दिनांक 06.05.2013 के दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2 के निर्णय दिनांक 10.08.96 की सत्यप्रतिलिपि प्र.डी.04 एवं 05 प्रस्तुत की है। उक्त कथनों का समर्थन चमरूसिंह प्र.सा.02 तथा भद्दुसिंह प्र.सा.03 ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किये हैं।

- प्रकरण की साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि 21-तहसीलदार बिरसा द्वारा निर्णय दिनांक 10.08.96 के अनुपालन में आदेश दिनांक 13.09.12 पारित किया गया। वादीगण द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 10.08.96 को चुनौती नहीं दी गई है तथा मात्र यह दावा किया है कि उक्त डिकी विधि–विरूद्ध होकर शून्य थी, जो उन पर बंधनकारक नहीं है। निर्णय दिनांक 10.08.96 एकपक्षीय साक्ष्य के उपरांत गुण–दोषों के आधार पर पारित किया गया था। उक्त निर्णय को कोई चुनौती पूर्व में दिया जाना दर्शित नहीं है। वादीगण के लिए यह आवश्यक था कि उक्त निर्णय को सुसंगत प्रावधानों के अधीन चुनौती दी जाती, क्योंकि उक्त निर्णय प्रभावशील होने के कारण बाध्यकारी हैं। वर्तमान प्रकरण में वादीगण का मुख्य आधार यह है कि तहसीलदार बिरसा द्वारा निर्णय दिनांक 10.08.96 के 12 वर्षों से अधिक समय पश्चात उक्त निर्णय के आधार पर अवधि बाह्य विधि–विरूद्ध आदेश पारित किया गया। परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 136 डिक्री के निष्पादन हेत् 12 वर्ष की परिसीमा का प्रावधान करता है। प्रथमतः प्रतिवादीगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में उक्त डिकी के निष्पादन हेतु कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था, अपित् उनके द्वारा राजस्व न्यायालय में धारा–115, 116 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। तथापि वादीगण को परिसीमा संबंधि आपित्ति राजस्व न्यायालय में ही करनी थी और यदि तहसीलदार द्वारा तत्पश्चात भी त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया था, तो उन्हें राजस्व अपील प्रस्तुत कर ततुसंबंध में आपित्त करनी थी, परंतू उनके द्वारा ऐसा न करते हुए वर्तमान वाद प्रस्तुत कर दिया गया।
- 22— वादीगण के अनुसार उन्हें वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त है, जबिक निर्णय दिनांक 10.08.96 में न्यायालय द्वारा वादीगण के पूर्वज कन्हैया तथा बलस्या का प्रतिवादीगण के वंश से न होने के कारण उनके वंशजों का वादग्रस्त भूमि से नाम निरस्त करने हेतु आदेशित किया गया था और उक्त आदेश प्रचलनशील है। चूँकि तहसीलदार न्यायालय बिरसा द्वारा उक्त

निर्णय एवं डिकी के परिपालन में ही दोनों आदेश पारित किये गये हैं। फलतः उनके विधि—विरूद्ध होकर शून्य होने की उपधारणा नहीं की जा सकती। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से वादग्रस्त भूमि पर उनका कोई अधिकार दर्शित नहीं होता। स्वयं वादी बुधराम वा.सा.01 द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकृत किया गया है कि उक्त भूमि प्रतिवादीगण की खानदानी भूमि है, जिस पर उनका कभी काश्त कब्जा नहीं रहा। वादीगण का आचरण ही दर्शित करता है कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कोई अधिकार नहीं है तथा राजस्व न्यायालय द्वारा तत्संबंध में त्रुटि सुधार कर युक्ति—युक्त आदेश पारित किया गया है। फलतः विवाद्यक प्रश्न कमांक 01 एवं 02 का निष्कर्ष अप्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-/

23— उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहे हैं। परिणामस्वरूप वर्तमान वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है तथा निम्नानुसार आज्ञप्ति पारित की जाती है:—

अ-वादीगण द्वारा वाद व्यय वहन किया जावेगा।

ब–अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका अनुसार जो कम हो वाद व्यय में जोड़ी जावे।

तद्नुसार उक्त आशय की आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र. सही / – (अमनदीप सिंह छाबड़ा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

